प्र.1- सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अपनी स्थापना के बाद किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन ला पाया है? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

Right to Information (RTI) after its vindication brought about what type of positive changes? Elucidate giving appropriate example.

(250 Words, 15 Marks)

- भूमिका में सूचना के अधिकार को संक्षिप्त में लिखें।
- अगले पैरा में सूचना के अधिकार द्वारा लाये गये सकारात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों रिकॉर्डस में दर्ज सूचनाओं को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

इसे हमारी संसद द्वारा पारित करना हमारे लोकतंत्र के विकास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर साबित हुआ।

सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:-

- यह अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उस सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेदार बनाता है, जो वह अपने साथ रखती है।
- यह सक्षम प्राधिकरण पर एक वैधानिक दायित्व भी रखता है, जो अपने सभी रिकॉर्ड्स को इस तरह से बनाए रखने और अद्यतन के लिए है, जो अधिनिमय की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- भारतीय कानून की मुख्य विशेषता यह है कि इसने सूचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानूनों को लागू करने और लागू करने में विभिन्न अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखा।

सकारात्मक परिवर्तन:-

- शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी।
- **आर.टी.आई. और सेवा वितरण:-** व्यक्ति अक्सर अन्य प्रकार की सेवा वितरण समस्याओं को हल करने के लिए आर.टी.आई. अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं, जैसे-सेवाओं के प्रावधान में देरी, नियमों को लागू करने में बाधा या विफलता आदि।
- लोगों के सार्वजनिक दस्तावेजों की तलाश और प्राप्त करने की अनुमति देना भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता है।
- भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आर.टी.आई. का उपयोग करते हुए नागरिकों और समाज समूह के कई उदाहरण हैं। जैसे-मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.), जो राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक स्थानीय संघर्ष से बाहर निकल गया है।
- इस अधिनियम ने गरीबों के जीवन की गुणवत्ता और हाशिए पर बेहतर प्रभाव पैदा किया है। पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिनियम ने भ्रष्टाचार और जवाबदेही के स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
- महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण से सेवाओं के वितरण में भ्रष्ट प्रथाओं पर प्रभावी जाँच हुई और यह सुनिश्चित किया गया है कि पात्रताएं वास्तव में इच्छित लाभार्थियों तक पहुँच सकें।

स्वशासन में नागरिकों की भागीदारी

- सुशासन और सूचना का अधिकार एक-दूसरे के लिए प्रशंसा योग्य हैं। RTI अधिनियम एक खुली और पारदर्शी सरकार का परिचय देता है और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह सूचना प्राप्त करने और प्राप्त करने के अधिकार के बदले प्रशासन को अधिक जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने में मदद करे।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

प्र.2. क्या आपको नहीं लगता कि एक सिविल सेवक को राजनीतिक राय व्यक्त करने से रोककर, आचरण संहिता मानव के सोचने और तर्क करने की मौलिक प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Don't you think forbidding a public servant from expressing his political views , code of conduct destroys the basic aptitude to think and reason of a human? Critically analyse.

(250 Words, 15 Marks)

भूमिका:- आचार संहिता अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक अधिकरियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह सही निर्णय लेने में सिविल सेवकों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, कुछ प्रकार के व्यवहारों को रोकती है और संगठन की प्रतिष्ठा को बचाने में मद्द करती है।

विषयवस्तु:-

- भारत में सिविल सेवकों को अखिल भारतीय सेवा (कंडक्ट) नियम, 1964 द्वारा शासित किया जाता है। कई अन्य दिशा-निर्देशों के अलावा इसे राजनीतिक राय से बचकर राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सिविल सेवकों की आवश्यकता होती है। यह निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है।

1. सरकारी कर्मचारी इस बात का संकेत देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं कि उन्होंने किस तरह से या किसे वोट दिया है।
2. उन्हें किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है।
3. वे संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, इसके लिए उन्हें पहले अपनी सरकारी सेवा से इस्तीफा देना होगा।

आलोचनाएं:-

- इस तरह के उपाय भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ जाते हैं, जो कि एक मौलिक मानवाधिकार है। समाज में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से बोलने, जानकारी तक पहुँचने और शक्तियों को रखने का अधिकार, किसी भी समाज की स्वस्थ विकास प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विभिन्न फैसलों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निष्पक्ष आलोचना पर आधारित बताया है और सरकार की नीतियों की आलोचना पर एक व्यापक निषेध मान्य नहीं है और अगर कोई आलोचना करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकारी कर्मचारी होता है।

हालांकि इस तरह के उपाय उचित हैं, क्योंकि-

- सरकार का संसदीय रूप नागरिक सेवा से न केवल तटस्थता, बल्कि आचरण के लिए ईमानदारी और निष्पक्षता की मांग करता है।
- ये प्रतिबंध नागरिक सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता (नौकरशाही के राजनीतिकरण से बचने) को बनाए रखते हैं और उन्हें सार्वजनिक विवादों से दूर रखते हैं उन्हें पूरी निष्ठा के साथ सरकार की सेवा करने में सक्षम बनाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों और विदेशी सरकारों के बीच संबंधों को शर्मनाक करने से रोकता है।

और इसके अलावा, वे अन्य मामलों में व्यक्त करने के अधिकार का भी आनंद लेते हैं और ऐसे कामों के साथ आते हैं, जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक हैं और इस प्रकार उनके व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाते हैं।

अंत में संक्षिप्त तथा सारगर्भित निष्कर्ष दें।

प्र.3-क्या जन सहभागिता अच्छे शासन का एक अनिवार्य स्तंभ है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Is public participation an integral pillar of the good governance? Critically analyse.

(250 Words, 15 Marks)

- भूमिका में जन सहभागिता को स्पष्ट कीजिए।
- अगले पैरा में समस्याओं को बताएँ।
- फिर अगले पैरा में उपायों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

जन सहभागिता का आशय है कि शासन और प्रशासन की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यह शासन में विद्यमान असंवेदनशीलता को दूर करता है तथा उपेक्षित विषयों और मुद्दों को कार्यवाही के केन्द्र में लाता है। इससे निर्णय निर्माण और नीति निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा शासन एवं प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता का विकास होता है।

समस्याएँ:-

- भारत में जन सहभागिता के लिए संस्थागत उपायों का अभाव रहा है, अर्थात् शासन व प्रशासन की संस्थाएं भागीदारी के लिए संरचनात्मक पहल नहीं कर सकीं।
- प्रशासन की प्रकृति अभिजात्य वर्गीय है क्योंकि वह औपनिवेशिककालीन लक्षणों से युक्त है। अत: यह प्रशासन और जनता के मध्य दूरी उत्पन्न करती है।
- प्रशासनिक कार्य प्रणालियाँ गोपनीयता पर आधारित रही हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में बुराईयाँ उत्पन्न करती हैं और लोगों की भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।
- लोगों में शिक्षा जागरुकता का प्राय: अभाव रहा है। अत: भागीदारी के लिए पर्याप्त वातावरण निर्मित नहीं हो सका है।

उपाय:-

- लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित किया जाए व उनमें भागीदारी की भावना का विकास किया जाए। इसके लिए सिविल समाज को प्रोत्साहन दिया जाए।
- प्रशासनिक कार्य संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएं और उसे पारदर्शी व लोकोन्मुखी बनाया जाए।
- शासन व प्रशासन के प्रत्येक स्तरों पर जन सहभागिता के प्रोत्साहन के लिए संस्थागत सुधार किए जाएं।
- सिविल सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जाए और ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिससे अभिजात्य वर्गीय प्रवृत्ति, दृष्टिकोण का समापन हो सके।

अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

प्र.4- सिटीजन चार्टर 'प्रभावी और अनुक्रियाशील' सरकार की स्थापना हेतु लाया गया था, किन्तु यह अपने उद्देश्यों में असफल रहा है। इसकी असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

Citizen Charter was brought for the establishment of 'effective and responsive' government but it failed in achieving its objectives. Describing the reasons for its failure recommend some measures for its effective implementation.

(250 Words, 15 Marks)

- भूमिका में सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को बताएं।
- अगले पैरा में सिटीजन चार्टर की असफलताओं के कारणों को बताएं।
- फिर अगले पैरा में सिटीजन चार्टर के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु प्रभावों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

सिटीजन चार्टर से आशय ऐसे दस्तावेज से है, जो विभागों की गतिविधियों को पारदर्शी, जवाबदेही गुणवत्ता प्रधान बनाता है तथा लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराता है। व्यावहारिक अर्थों में इसके अंतर्गत विभागों द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सेवाएँ नागरिकों के लिए एक पृथक अधिकार का सृजन करती हैं। अत: इन्हें 'नागरिकों का अधिकार पत्र' कहा जाता है।

असफलता के कारण:-

- समीक्षाधीन अधिकांश नागरिक अधिकार- घोषणा पत्र अपने प्रावधानों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।
- नौकरशाही की उदासीनता और काम करने का दफ्तरशाही ढंग।
- प्रयुक्त भाषा का जनसंख्या के बड़े भाग की समझ से परे होना।
- हितधारकों की सीमित भागीदारी और प्रणालीबद्ध पहचान का अभाव।
- पर्याप्त प्रचार-प्रसार तथा नागरिक हितैषी सोच का अभाव।
- पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी।

क्रियान्वयन हेतु प्रयास:-

- सिटीजन चार्टर के एक निश्चित मॉडल को स्थानीय भाषा में तैयार करना चाहिए, जिसमें आवश्यक सभी सूचनाएँ उल्लिखित हों।
- शिकायत निपटान प्रणाली हेतु संगठन के उत्तरदायी अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके आलावा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा ई-शिकायत की सुविधा आदि प्रदान करना।
- कार्यालय में ग्राहक-मित्रता वाले वातावरण का निर्माण करना।
- शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन।
- समय-समय पर फीडबैक प्राप्त करना तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करना।
- प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाना।
- नागरिकों की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजनाएँ आदि।

अंत में संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष दें।

प्र.5– **"व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।" इसके अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए।**

The Whistle Bower protection Bill, 2014 will be helpful for the public participation in Controlling Corruption. Discuss its characteristics

(150 Words, 10 Marks)

भूमिका:-

व्हिसल ब्लोअर का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो विभाग की अनियमितताओं को प्रकट करता है। यह विभाग में कमजोरियों को दूर करने और सुधार करने का अवसर देता है।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक- 2014 भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। इसे सूचना के अधिकार कानून का पूरक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने इसमें संशोधन का सुझाव दिया है।

विषयवस्तु:-

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक- 2014 के अभिलक्षण:-

- इसमें व्हिसल ब्लोअर की व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कोई व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी हो सकता है।
- यह गोपनीय सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित करता है।
- इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह जाँच के लिए सी.बी.आई. पुलिस अधिकारी आदि की सहायता ले सकता है।
- इसके तहत भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गलत या फर्जी शिकायत करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था भी है।
- देश में व्हिसल ब्लोअर को धमकाए जाने, उसके उत्पीड़न एवं हत्या के कई उदाहरणों को देखते हुए इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई। एन.एच.आई. में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी देने वाले इंजीनियर की 2003 में हत्या करना इसका प्रमुख उदाहरण है।

अत: कह सकते हैं कि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम- 2014 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

प्र.6-स्वयं सहायता समूहों के विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Analyze the role of Non Governmental Organizations (NGOs) in the development of the Self Help Group (SHGs).

(150 Words, 10 Marks)

भूमिका:- एकता में शक्ति है, स्वयं-सहायता सर्वोत्तम सहायता है। यह इन्हीं संकल्पनाओं की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों और समाज के अन्य वंचित शोषित तबकों का सशक्तिकरण है। भारत में स्वयं सहायता समूहों का वास्तविक विकास आजादी के बाद हुआ, जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबों के लिए औपचारिक ऋण सुविधाओं के विकास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू किया। ये प्राय: 10- 20 लोगों का एक छोटा निकाय होता है, जो एक जैसी समस्याएँ झेल रहे होते हैं और आपसी सहयोग से इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास करते हैं।

विषयवस्तु:-

स्वयं सहायता समूह के विकास में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) की भूमिका:-

- ये स्वयं-सहायता समूहों को वित्त पोषित करते हैं।
- ये विकासात्मक कार्यक्रमों के नियोजन व क्रियान्वयन में भागीदार होते हैं।
- ये आत्मनिर्भर समाज के निर्माण के लिए समाज के वंचित तबकों की आवाज बनते हैं और उनका सशक्तिकरण करते हैं।
- ये सरकार और आम जनता के मध्य सम्पर्क सूत्र की भूमिका में होने के कारण एक तरफ तो सरकारी नीतियों को प्रभावित कर पाते हैं, दूसरी ओर नीतियों को तृणमूल स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रसार में गैर सरकारी संगठनों ने अत्यन्त प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। इसी प्रकार, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी कार्यरत कई गैर सरकारी संगठनों ने अच्छा काम किया है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत प्रभावी डिलीवरी व्यवस्था के निर्माण हेतु भी एन.जी.ओ. की सहायक भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- ये स्वयं-सहायता को कुशल एवं प्रशिक्षित (Skill Traning) करने में सहायक होते हैं।

अंत में संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष दें।